न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

मुन्तकिली प्रकरण संख्या 106/2019 (RCMS : 2019/00200) अनवान् विश्वामित्र पुत्र श्री सुरजाराम जाति बिश्नोई निवासी चक 31 के.एस.डी. तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राजस्थन) बनाम 1. गोपीराम पुत्र श्री पृथ्वीराम 2. गणेशाराम पुत्र श्री जयराम 3. कालूराम पुत्र श्री जयराम 4. राजेन्द्र पुत्र श्री जयराम जाति कुम्हार निवासी चक 31 ए.एस.डी., तहसील सादुलशहर 5. कृष्णलाल पुत्र भगवानी 6. ओमप्रकाश पुत्र भगवानी 7. राकेश 8. रवि 9. रिंकू पुत्रगण रामकुमार पुत्र भगवानी जति कुम्हार निवासी हाकमाबाद तहसील सादुलशहर 10. संजू पुत्र मोहनलाल पुत्र भगवानी 11. प्रदीप पुत्र श्री मोहनलाल पुत्र भगवानी जाति कुम्हार निवासी वार्ड नं 03 सादुलशहर तहसील सादुलशहर 12. बृजलाल पुत्र मोखराम जाति बिश्नोई निवासी चमारखेड़ा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर 13. तहसीलदार (राजस्व), सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

16.10.2019

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री प्रदीप सिहाग उपस्थित है। मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 99/2019 अनवानी विश्वामित्र बनाम गोपीराम अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (आर.टी.ए.) में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर, प्रकरण अन्यत्र सक्ष्म न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया था। चूंकि अब तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। अतः इसी आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है। प्रार्थी के अधिवक्ता को भी इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 16.10.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर